

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 21 / 2018

दायर दिनांक 14.08.2018

मांगु उर्फ मांगीलाल	उनवान	
	बनाम	बाबुलाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 30.03.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई वकिल प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाही जाने का निवेदन कर नोट-प्रेस किया व इस बाबत सहमति के हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थना पत्र नोट-प्रेस किया जाकर पत्रावली खारिज कि जाती है अत -पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है



(भावना सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर

